न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:– 80/24

विवेकानन्द विधा आश्रम संस्थान कातर छोटी जरीये सचिव रामचन्द्र लेघा पुत्र लक्ष्मणराम लेघा जाति जाट निवासी ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26-12-24.

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रोही ग्राम कातर छोटी पटवार हल्का कातर छोटी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू की सीमा में खसरा संख्या 504/500 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के एकल खातेदारी अधिकार की स्थित थी। प्रार्थी ने उक्त खातेदारी भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 504/500 तादादी 0.2529 हेक्टेयर में सें 2085.50 वर्गमीटर भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चूरू से उसके आदेश कमांकः–प.12(1)(23)राजस्व/2009 दिनांक 16.03.2010 को करवाया था। संपरिवर्तन आदेश जारी होने के बाद प्रार्थी ने उक्त संपरिवर्तन आदेश की एक प्रति पटवारी हल्का कातर छोटी को कृषि से अकृषि का नामान्तरण करवाने हेतु दी थी। पटवारी हल्का कातर छोटी ने उक्त आदेश की पालना में ग्राम कातर छोटी का नामान्तरण संख्या 435 दर्ज कर आई.एल.आर. लालगढ से जांच करवाकर तहसीलदार बीदासर से दिनांक 10.12.2010 को स्वीकृत करवाया था। लेकिन पटवार हल्का कातर छोटी ने नामान्तरण संख्या 435 दर्ज करते समय कॉलम संख्या 12 में संपरिवर्तित भूमि की किश्म केवल गै.मु. अंकित कर दी। जबकि कॉलम संख्या 12 में संपरिवर्तित भूमि की किश्म गै.मु. शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ दर्ज करनी थी। उक्त नामान्तरण संख्या 435 की पालना में जमाबंदी में भी किश्म के कॉलम में केवल गै.मु. का अंकन किया गया। जो आज दिनांक तक बदस्तुर जारी है। इसी प्रकार रोही ग्राम कातर छोटी पटवार हल्का कातर छोटी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू की सीमा में खसरा संख्या 505/500 तादादी 0.5058 हेक्टेयर भूमि श्रीमति धन्नीदेवी पत्नि लक्ष्मणराम जाति

सत्यमेव जयते
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

जाट निवासी साजनसर के एकल खातेदारी अधिकार की स्थित थी। धन्नीदेवी ने उक्त खातेदारी भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 505/500 तादादी 0.5058 हेक्टेयर में सें 4171 वर्गमीटर भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चूरू से उसके आदेश कमांकः–प.12(1)(22)राजस्व/2009 दिनांक 16.03.2010 को करवाया था। संपरिवर्तन आदेश जारी होने के बाद धन्नीदेवी ने उक्त संपरिवर्तन आदेश की एक प्रति पटवारी हल्का कातर छोटी को कृषि से अकृषि का नामान्तरण करवाने हेतु दी थी। पटवारी हल्का कातर छोटी ने उक्त आदेश की पालना में ग्राम कातर छोटी का नामान्तरण संख्या 436 दर्ज कर आई.एल.आर. लालगढ से जांच करवाकर तहसीलदार बीदासर से दिनांक 10.12.2010 को स्वीकृत करवाया था। लेकिन पटवार हल्का कातर छोटी ने नामान्तरण संख्या 436 दर्ज करते समय कॉलम संख्या 12 में संपरिवर्तित भूमि की किश्म केवल गै.मु. अंकित कर दी। जबकि कॉलम संख्या 12 में संपरिवर्तित भूमि की किश्म गै.मु. शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ दर्ज करनी थी। उक्त नामान्तरण संख्या 436 की पालना में जमाबंदी में भी किश्म के कॉलम में केवल गै.मु. का अंकन किया गया। जो आज दिनांक तक बदस्तुर जारी है। धन्नीदेवी ने बाद में उक्त संपरिवर्तित भूमि को प्रार्थी को विक्रय कर दी। इस कारण यह भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम से जमाबंदी में दर्ज है। नामान्तरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी ने भी उक्त नामान्तरणों के किश्म के कॉलम की विधिवत जांच नहीं करके पटवारी हल्का द्वारा जैसा दर्ज किया गया वैसा ही स्वीकृत कर दिया गया। जबकि स्वीकृत करने वाले अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वो नामान्तरण की विधिवत जांच करके स्वीकृत करें। किश्म के कॉलम में केवल गै.मु. लिखने से यह पता नहीं चलता है कि यह रूपान्तरण किस प्रयोजन के लिए हुआ है। अर्थात् सभी प्रकार के संपरिवर्तन गै.मु. की श्रेणी में आते है। वर्तमान जमाबंदी में किश्म के कॉलम में केवल गै.मु. अंकित होने के कारण यह जमाबंदी प्रार्थी के काम नहीं आ रही है। वर्तमान जमाबंदी में किश्म के कॉलम में केवल गै.मु. अंकित होने के कारण प्रार्थी को भंयकर असुविधा का सामना करना पड रहा है तथा बैंक से ऋण लेने में भी भंयकर असुविधा हो रही है। मुझ प्रार्थी ने दिनांक 10.04.2024 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम कातर छोटी के वर्तमान खाता संख्या 249 के खसरा संख्या 504/500 तादादी 0.2529 हेक्टेयर व रोही ग्राम कातर छोटी के वर्तमान खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 505/500 तादादी 0.5058 हेक्टेयर के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में भूमि कि किश्म केवल गै.मु. अंकित है जिसको सही करके गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ किया जावे। अप्रार्थी ने इस प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में भूमि की किश्म गै.मु. की जगह गै.मु. शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना–पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना–पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें राजस्व रेकार्ड में शुद्वि किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का है। पटवारी हल्का द्वारा नामांतरण दर्ज करते समय रेकार्ड में अशुद्वि हुई है जो लिपिकिय त्रूटी के अंतर्गत आती है जिसको शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम कातर छोटी के वर्तमान खाता संख्या 249 खसरा संख्या 504/500 तादादी 0.2529 हेक्टेयर व रोही ग्राम कातर छोटी के वर्तमान खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 505/500 तादादी 0.5058 हेक्टेयर के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में भूमि कि किश्म गै.मु. की जगह गै.मु. शिक्षण संस्थान अंकित करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-12-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)